

[2023] 2 एस. सी. आर. 647

ए.

कर्नाटक राज्य बनाम।

मेसर्स इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड (2023 की सिविल अपील संख्या 230)

13 मार्च, 2023

बी.

[एम. आर. शाह और सी. टी. रविकुमार, जे. जे.]

कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 -एस. 70 कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005-आर.27 और 29-सबूत का बोझ। 70 - इनपुट टैक्स क्रेडिट-दावा-प्रत्यर्थियों (क्रय विक्रेताओं) ने संबंधित विक्रेताओं से की गई खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई. टी. सी.) का दावा किया-निर्धारण अधिकारी ने संबंधित विक्रेताओं से किए गए लेनदेन और खरीद की वास्तविकता पर संदेह किया और आई. टी. सी. को अस्वीकार कर दिया-प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि की गई निर्धारण अधिकारी के निष्कर्ष-द्वितीय अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने आई. टी. सी. को यह कहते हुए अनुमति दी है कि खरीद विक्रेताओं ने संबंधित विक्रेताओं द्वारा जारी चालान प्रस्तुत किए हैं और कुछ मामलों में उन्होंने चेक के माध्यम से भी भुगतान किया है, इसलिए निर्धारण अधिकारी आई. टी. सी. को अस्वीकार करने में उचित नहीं था-अपील पर कहा गया:यह साबित करने का भार कि आई. टी. सी. का दावा सही है, ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले खरीदार व्यापारी पर निर्भर करता है-आई. टी. सी. का दावा करने के लिए, लेन-देन की वास्तविकता और माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही अनिवार्य रूप से चालान का उत्पादन और/या चेक द्वारा भुगतान पर्याप्त नहीं है और इसे एस के अनुसार बोझ साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। 70 - उत्तरदाता लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने में विफल रहे और एस के अनुसार सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे। 70 - किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में जैसे कि विक्रेता का नाम और पता, माल की डिलीवरी करने वाले वाहन का विवरण, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि और ठोस सामग्री का उत्पादन करके माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही, निर्धारण अधिकारी आई. टी. सी. को अस्वीकार करने में पूरी तरह से उचित था-केवल इसलिए कि नियम 27 और नियम 29 के अनुसार कर चालान प्रस्तुत किया गया हो सकता है, जिसे स्वयं माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है-उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आई. टी. सी. को रद्द करने और अपास्त करनाने की अनुमति देने वाले दूसरे अपीलीय प्राधिकरण-निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेश, जिसकी पुष्टि पहली अपील द्वारा की गई थी।

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

647

648 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

ए.

अपीलों को अनुमति देते हुए, न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1. धारा 70** के प्रावधान अपने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आई. टी. सी. के दावे को सही साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले खरीदार व्यापारी पर है। इस बात के प्रमाण का बोझ कि आई. टी. सी. का दावा सही है, पूरी तरह से निर्धारिती पर है जिसे उक्त बोझ का निर्वहन करना है। केवल इसलिए कि इस तरह के आई. टी. सी. का दावा करने वाला विक्रेता दावा करता है कि वह एक प्रामाणिक खरीदार है, पर्याप्त और पर्याप्त नहीं है। आई. टी. सी. की शुद्धता साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता पर रहता है। सबूत का ऐसा बोझ राजस्व पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। केवल चालान प्रस्तुत करना या चेक द्वारा किया गया भुगतान पर्याप्त नहीं है और इसे कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, **2003** की धारा **70** के तहत डाले गए प्रमाण के बोझ का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है। आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता को बिना किसी संदेह के वास्तविक लेन-देन को साबित करना होता है जिसे विक्रेता का नाम और पता, उस वाहन का विवरण जिसने माल की डिलीवरी की है, माल दुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि प्रस्तुत करके साबित किया जा सकता है। उपरोक्त जानकारी कर चालान, भुगतान के विवरण आदि के अतिरिक्त होगी। वास्तव में, यदि कोई व्यापारी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, तो ऐसे विक्रेता/खरीदार को माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही, ऊपर निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करके लेनदेन की वास्तविकता और केवल कर चालान का उत्पादन आईटीसी का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में, लेन-देन की वास्तविकता को साबित करना होगा क्योंकि के. वी. ए. टी. अधिनियम, **2003** की धारा **70** के अनुसार लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने का बोझ क्रय विक्रेता पर होगा। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल चालान का उत्पादन और/या चेक द्वारा भुगतान पर्याप्त नहीं है और इसे अधिनियम, **2003** की धारा

70 के अनुसार बोझ साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है। यदि क्रय विक्रेता संबंधित विक्रेताओं से कथित रूप से खरीदे गए माल की भौतिक आवाजाही के उक्त महत्वपूर्ण पहलू को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहता है और जिस पर आई. टी. सी. का दावा किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे आई. टी. सी. दावे को अस्वीकार करने में पूरी तरह से उचित है। [पैरा **9.1,10**] [656-एफ-एच; 657-ए-सी, जी] ए

बी.

सी.

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.

649

कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड ए

2. अब जहाँ तक कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, **2005** के नियम **27** और **29** पर निर्भरता और क्रय विक्रेताओं की ओर से यह निवेदन किया गया है कि नियम **2005** के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से नियम **27** और **29** के तहत, केवल कर चालान जारी करने और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और कोई अन्य आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। नियम **27** विक्रेताओं पर कर चालान जारी करने का दायित्व डालता है और कर चालान का विवरण नियम **29** के तहत प्रदान किया जाता है। केवल इसलिए कि नियम **27** और नियम **29** के अनुसार कर चालान प्रस्तुत किया गया होगा, जिसे अपने आप में माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही को साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है, जिसे साबित करने की आवश्यकता है। [पैरा **13**] [658-जी-एच; 659-ए]

बी.

सी.

3. बिक्री व्यापारी का नाम और पता, माल की डिलीवरी करने वाले वाहन का विवरण, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि जैसी किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में और ठोस सामग्री का उत्पादन करके माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही, निर्धारण अधिकारी आईटीसी को अस्वीकार करने में

पूरी तरह से उचित था, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई थी। संबंधित खरीद विक्रेता लेन-देन की वास्तविकता साबित करने में विफल रहने और केवीएटी अधिनियम, **2003** की धारा **70** के अनुसार सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहने के बावजूद, दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय दोनों ने आईटीसी को अनुमति देने में भौतिक रूप से गलती की है। आई. टी. सी. को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय और दूसरे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर हैं और रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य हैं और इन्हें इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए संबंधित खरीद विक्रेताओं को आई. टी. सी. से इनकार करने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को पुनर्स्थापित किया जाता है। [पैरा **15**] [**659-एफ-एच; 660-ए-बी**]

डी.

ई.

एफ.

मेसर्स भागडिया ब्रदर्स बनाम। अतिरिक्त आयुक्त

जी.

2018 का वाणिज्यिक कर एस. टी. ए. सं. 4 दिनांकित

29.01.2020; माधव स्टील निगम बनाम राज्य

गुजरात कर अपील सं। 2013 का 742; श्रीजी इम्पेक्स बनाम गुजरात राज्य कर अपील सं। 2014 का 330, 2014 एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 8074; निगम बैंक बनाम।

एच.

650 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2023] 2 एस. सी. आर.

सरस्वती आभारशाला (2009) 19 वीएसटी 84 (एससी);

वाणिज्यिक कर क्षेत्र-II और अन्य के अतिरिक्त आयुक्त। बनाम एम/एस। ट्रांसवर्ल्ड स्टार मंजुश्री सिविल

2023 की अपील संख्या **216-217 @एस. एल. पी. (सिविल)** संख्या **6337 -**

6338 2022 का; क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड बनाम एन. सी. टी. दिल्ली सरकार (लिखित याचिका (सिविल))

बी.

नहीं. **6093/2017,26.10.2017** पर तय किया गया-संदर्भित।

सिविल अपील न्यायनिर्णय:सिविल अपील सं. 230

2023.

2017 के एस. टी. आर. पी. संख्या 18 में बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय के दिनांकित 26.05.2021 के निर्णय और आदेश से।

सी.

के साथ

2023 की सिविल अपील सं. 232 और 216-217।

निखिल गोयल, एएजी, शुभ्रांशु पाधी, विशाल बंसल, सुश्री राजेश्वरी शंकर, नीरोप सुकृति, मोहम्मद।ओवैस, आदित्य कोशी राँय, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

डी.

स्वर्णेंदु चटर्जी, सुश्री दीपा गर्ग, यशवर्धन सिंह, सुश्री मेघा साहा, पाई अमित, थिरुमलेश एम., सुश्री पंखुड़ी भारद्वाज, राहत बंसल, अभियुदय वत्स, सुश्री सोनाली सूर्यवंशी, राघवेंद्र एस. श्रीवत्स, अमित पाई, वेंकिता सुब्रमण्यम टी. आर., लिख्ही चंद भोंसले, सुश्री कोमल मुंधरा, के. जे. कामत, भार्गव वी. देसाई, श्रीमती वीणा कामत, सुश्री लेखा दिलीप, राहुल गुप्ता, सुश्री अंकिता चोपड़ा, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

ई.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

एफ.

1. चूंकि अपीलों के इस समूह में कानून और तथ्यों का सामान्य प्रश्न उत्पन्न होता है और यह मुद्दा कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 (इसके बाद 'केवीएटी अधिनियम, 2003' के रूप में संदर्भित) की धारा 70 की व्याख्या के संबंध में है, इन सभी अपीलों का निर्णय इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा एक साथ किया जाता है और उनका निपटान किया जाता है।

जी.

2. सुविधा के लिए, बेंगलुरु में कर्नाटक उच्च न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 26.02.2021 के विवादित निर्णय और आदेश से उत्पन्न 2023 की सिविल अपील संख्या. 2018 की संख्या 82 को प्रमुख मामले के रूप में माना जाता है, क्योंकि कुछ मामलों में उक्त निर्णय पर भरोसा किया गया है।

एच.

651

कर्नाटक राज्य बनाम एम./एस. इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

ए.

3. उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय (ओं) और आदेश (ओं) द्वारा, उच्च न्यायालय ने राजस्व-कर्नाटक राज्य द्वारा पसंद किए गए संशोधन आवेदनों को खारिज कर दिया है और इस तरह संबंधित खरीद विक्रेताओं द्वारा दावा किए गए इनपुट टैक्स क्रेडिट (जिसे इसके बाद 'आईटीसी' के रूप में संदर्भित किया गया है) को अनुमति दी है। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश वर्तमान अपीलों के विषय हैं।

बी.

सिविल अपील सं. **231/2023** (कर्नाटक राज्य बनाम मेसर्स तल्लम परिधान)

4. संक्षेप में वर्तमान अपील की ओर ले जाने वाले तथ्य इस प्रकार हैं: कि इसमें प्रत्यर्थी -मेसर्स तल्लम अप्पेरल्स (जिसे इसके बाद 'क्रय विक्रेता' के रूप में संदर्भित किया गया है) ने आगे की बिक्री के उद्देश्यों के लिए अन्य विक्रेताओं से तैयार कपड़े खरीदे। क्रय विक्रेता ने इस तरह की बिक्री पर आई. टी. सी. का दावा किया। 4,18,818-। दिनांक 26.12.2014 के आदेश के माध्यम से, मूल्यांकन अधिकारी ने मूल्यांकन वर्ष 2012-2013 के लिए आई. टी. सी. के दावे को इस आधार पर अस्वीकार कर दिया कि जिन डीलरों से मेसर्स तल्लम अप्पारेल्स ने रेडीमेड कपड़े खरीदे हैं, उन्होंने या तो अपना पंजीकरण रद्द कर दिया है या 'एन. आई. एल.' रिटर्न दाखिल कर दिया है। इस प्रकार, निर्धारण अधिकारी को ऐसी बिक्री और कर के भुगतान पर संदेह था, जिस पर आई. टी. सी. का दावा किया गया था। क्रय विक्रेता द्वारा एक अपील दायर की गई थी। अपीलीय प्राधिकरण ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत बोझ का निर्वहन नहीं किया गया है। हालाँकि, कर्नाटक अपीलीय न्यायाधिकरण ने मूल्यांकन अधिकारी के साथ-साथ प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों को इस आधार पर उलट दिया कि विक्रेता के चूक के कारण क्रय विक्रेता को नुकसान नहीं उठाना चाहिए। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन को विवादित निर्णय और आदेश द्वारा खारिज कर दिया गया है।

सी.

डी.

ई.

एफ.

4.1. अन्य मामलों में, न्यायाधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने आई. टी. सी. को केवल/मुख्य रूप से इस आधार पर खरीद विक्रेताओं के पक्ष में अनुमति दी है कि विक्रेता को बिक्री मूल्य का भुगतान खाता प्राप्तकर्ता चेक द्वारा किया गया था और चालान की प्रतियां प्रस्तुत की गई थीं।

4.2 जहां तक मेसर्स ईकॉम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड के 2023 की सिविल अपील संख्या 230 होने का संबंध है, मेसर्स ईकॉम-क्रय विक्रेता ने निर्यात और घरेलू बाजार में आगे की बिक्री के उद्देश्य से अन्य विक्रेताओं से हरी कॉफी बीन खरीदी। निर्धारण वर्ष 2010-2011 के लिए क्रय विक्रेता द्वारा दावा किए गए निवेश कर छूट में कुछ अनियमितताओं का पता चलने पर, निर्धारण अधिकारी ने के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 39 के तहत नोटिस जारी किया।

जी.

एच.

652

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

खाते, किताबें, कर चालान आदि। पुनर्मूल्यांकन आदेश पारित किया गया। यह पाया गया कि क्रय विक्रेता ने मुख्य रूप से 27 विक्रेताओं से आई. टी. सी. का दावा किया था और उपरोक्त 27 विक्रेताओं में से छह को अपंजीकृत पाया गया था; तीन ने प्रत्यर्थी को बिक्री की थी लेकिन कर दाखिल नहीं किया था और छह ने न तो कारोबार से इनकार किया था और न ही करों का भुगतान किया था। इसलिए आई. टी. सी. को रुपये की सीमा तक अनुमति नहीं दी गई। 10.52 लाख। प्रथम अपीलीय प्राधिकरण ने निर्धारण अधिकारी के निष्कर्षों की पुष्टि की। हालांकि, न्यायाधिकरण ने दूसरी अपील को इस आधार पर स्वीकार कर लिया कि खरीद विक्रेता ने पंजीकृत विक्रेता से वास्तविक कर चालान के तहत कॉफी खरीदी और परिणामस्वरूप आईटीसी को दावा करने की अनुमति दी। उच्च न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन को मेसर्स तल्लम अप्पेरल्स (उपरोक्त) के मामले में उसके पहले के फैसले पर भरोसा करते हुए खारिज कर दिया गया है। 5. श्री निखिल गोयल, विद्वान ए. ए. जी. कर्नाटक राज्य की ओर से पेश हुए हैं और संबंधित खरीद विक्रेताओं की ओर से संबंधित विद्वान अधिवक्ता पेश हुए हैं।

बी.

सी.

6. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री निखिल गोयल ने जोरदार ढंग से कहा कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय ने संशोधन आवेदनों को खारिज करने

और संबंधित खरीद विक्रेताओं के पक्ष में इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देने में अपीलीय प्राधिकरणों द्वारा पारित संबंधित आदेशों की पुष्टि करने में भौतिक रूप से गलती की है।

डी.

ई.

6.1 यह जोरदार रूप से प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने उचित रूप से इस बात की सराहना नहीं की है कि जब मूल्यांकन अधिकारी ने लेनदेन/बिक्री की वास्तविकता पर संदेह किया और जब यह पाया गया कि बिक्री लेनदेन केवल कागजी लेनदेन थे और यहां तक कि कुछ मामलों में, विक्रेताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया था और रिकॉर्ड में कुछ भी नहीं था कि विक्रेता द्वारा कोई कर का भुगतान किया गया था, तो खरीद विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट के हकदार नहीं होंगे।

एफ.

6.2 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री निखिल गोयल ने जोरदार ढंग से प्रस्तुत विद्वान कि उच्च न्यायालय को इस बात की सराहना करनी चाहिए थी कि खरीद विक्रेताओं पर लेन-देन/वित्तीय हस्तांतरण को साबित करने के लिए ऐसा कर्तव्य डाला गया है, जो वर्तमान मामले में खरीद विक्रेता निर्वहन करने में विफल रहे। यह प्रस्तुत किया जाता है कि के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के प्रयोजनों के लिए, भुगतान करने के लिए आवश्यक बोझ वित्तीय हस्तांतरण दिखाने की तुलना में थोड़ा अधिक है और माल की वास्तविक आवाजाही दिखानी चाहिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल चालान का उत्पादन या विक्रेता को चेक द्वारा भुगतान भी पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है और ए

जी.

एच.

653

कर्नाटक राज्य बनाम एम./एस. इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत भुगतान किए जाने वाले इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करने के लिए बोझ का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि चालान, चेक द्वारा भुगतान और वास्तविक भुगतान और यहां तक कि विक्रेता द्वारा कर की मांग के अलावा माल की वास्तविक आवाजाही को स्थापित और साबित करने की आवश्यकता होती है।

बी.

6.3 विद्वान ए. ए. जी. श्री गोयल ने मैसर्स भागडिया ब्रदर्स के मामले में कर्नाटक उच्च न्यायालय के फैसले पर बहुत अधिक भरोसा विद्वान है।

बनाम। वाणिज्यिक करों के अतिरिक्त आयुक्त, एस. टी. ए. संख्या 4

2018 का दिनांक **29.01.2020**, जिसके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी गई है और साथ ही गुजरात उच्च न्यायालय का निर्णय

माधव स्टील निगम बनाम गुजरात राज्य का मामला, कर अपील

सी.

2013 की सं. 742 और अन्य संबद्ध कर अपीलें जिनके खिलाफ विशेष अनुमति याचिका भी खारिज कर दी गई है, हालांकि, कानून के सवाल को खुला रखते हुए और गुजरात के एक अन्य फैसले पर भी भरोसा किया गया है।

श्रीजी इम्पेक्स बनाम के मामले में उच्च न्यायालय। गुजरात राज्य, 2014, 2014 की कर अपील संख्या 330, एस. सी. सी. ऑनलाइन गुजरात 8074, समर्थन में

डी.

उनकी उपरोक्त प्रस्तुतियों में से। 6.4 राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान ए. ए. जी. श्री निखिल गोयल ने आगे कहा कि उच्च न्यायालय यह समझने में विफल रहा है कि राजस्व उस विक्रेता से वसूल नहीं विद्वान जा सकता है जो पंजीकृत नहीं है या जिसने 'शून्य' विवरणी दाखिल की है, जिससे बिक्री से इनकार विद्वान जाता है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह देखने और अभिनिर्धारित करने में भौतिक रूप से गलती की है कि एक बार खरीद विक्रेता द्वारा खाता प्राप्तकर्ता चेक द्वारा खरीदारी की जाती है, तो माना जाता है कि खरीद विक्रेता ने अपना बोझ कम कर दिया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उच्च न्यायालय ने यह टिप्पणी करने में भी भौतिक रूप से गलती की है कि यदि उस माल का विक्रेता जिससे व्यापारी ने खरीदा है, ऐसा कर जमा नहीं करता है, तो व्यापारी (खरीद व्यापारी) को इसके लिए उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तरह से खरीद विक्रेता विक्रेता द्वारा भुगतान किए गए कर और/या भुगतान किए गए कर पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, इनपुट टैक्स क्रेडिट के उद्देश्यों के लिए, क्रय विक्रेता को कर के वास्तविक भुगतान और माल के वास्तविक हस्तांतरण को साबित करना होगा और केवल कागजी लेनदेन पर्याप्त नहीं है।

ई.

एफ.

जी.

6.5 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए और उपरोक्त निर्णयों पर भरोसा करते हुए, यह प्रार्थना की जाती है कि वर्तमान अपीलों को अनुमति दी जाए।

7. वर्तमान अपीलों का विरोध करते हुए, संबंधित निर्धारिती/विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता, जिन्होंने इनपुट का दावा किया

एच.

654

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

टैक्स क्रेडिट ने जोरदार रूप से प्रस्तुत किया है कि वर्तमान मामले में, खरीद विक्रेताओं ने केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए सबूत के बोझ को वहन किया है और वास्तविक चालान और यहां तक कि चेक के माध्यम से किए गए भुगतान को प्रस्तुत करके लेनदेन की वास्तविकता को साबित किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब विक्रेता केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए बोझ को चुका देता है, तो खरीद विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार होता है और यदि यह पाया जाता है कि विक्रेता द्वारा कर का भुगतान नहीं किया गया है, तो उसे विक्रेता से वसूल किया जा सकता है। हालांकि, जहां तक खरीद विक्रेता का संबंध है, वे केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत बोझ का निर्वहन करने के बाद आईटीसी के हकदार हैं।

बी.

सी.

7.1 संबंधित विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि वास्तव में उन्होंने वैध चालान प्रस्तुत करके और आपूर्तिकर्ता को ऑनलाइन भुगतान करके केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए सबूत के बोझ का निर्वहन किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि विक्रेता के पंजीकरण और ऑनलाइन भुगतान पर कभी विवाद नहीं हुआ था। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अलावा, कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005, अर्थात् नियम 27 और 29, विक्रेता को कर चालान जारी करने के लिए विवरण और दायित्व और कर चालान के विवरण भी प्रदान करते हैं। यह प्रस्तुत किया जाता है कि न तो केवीएटी अधिनियम और न ही नियम किसी अन्य दस्तावेज या किसी अन्य दायित्व के लिए प्रावधान करते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए धनवापसी की मांग करने के दावे को स्थापित करने के उद्देश्यों के लिए वैधानिक रूप से आवश्यक हैं। 7.2 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए न्यायनिर्णायक प्राधिकारी का निर्णय अधिनियम और नियमों से परे था। संबंधित निर्धारिती/विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान

अधिवक्ता द्वारा आगे यह प्रस्तुत किया जाता है कि जहां तक इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ उठाने के इच्छुक खरीद विक्रेताओं का संबंध है, कानून की एकमात्र आवश्यकता यह है कि उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि विक्रेता एक पंजीकृत विक्रेता है और उसने केवीएटी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों की आवश्यकता के अनुपालन में कर चालान जारी किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब खरीद विक्रेता यह प्रदर्शित कर देता है कि उसने ऐसी आवश्यकता का पालन किया है, तो उसे केवल इसलिए आईटीसी से वंचित नहीं किया जा सकता है क्योंकि विक्रेता केवीएटी अधिनियम के तहत अपने दायित्व का निर्वहन करने में विफल रहता है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

7.3 यह प्रस्तुत किया जाता है कि वर्तमान मामले में, उत्तरदाता खरीद विक्रेता हैं, जिन्होंने केवीएटी अधिनियम की आवश्यकता का पालन किया है और यह सुनिश्चित किया है कि उनके द्वारा की गई खरीद केवीएटी अधिनियम और ए के लिए नियमों की आवश्यकताओं के अनुपालन में है।

एच.

655

कर्नाटक राज्य बनाम एम./एस. इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

आई. टी. सी. का दावा करना। रिलायंस को इस न्यायालय के फैसले पर रखा गया है

निगम बैंक बनाम सरस्वती आभारशाला का मामला, (2009) 19

वीएसटी 84 (एससी)। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आई. टी. सी. को अस्वीकार किया जा सकता है जहां क्रय विक्रेता ने उचित परिश्रम के बिना काम किया है, यानी, पहले यह सुनिश्चित किए बिना लेनदेन के साथ आगे बढ़ना कि क्या बिक्री विक्रेता एक पंजीकृत विक्रेता है जिसका वैध पंजीकरण है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि सभी आवश्यक सावधानियां बरतने वाले एक क्रय विक्रेता को आई. टी. सी. से इनकार करने से इस तरह के एक मेहनती क्रय विक्रेता को उस व्यक्ति से अलग करने में विफल रहता है जिसने प्रामाणिक रूप से काम नहीं किया है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि मामले में

बी.

वाणिज्यिक कर क्षेत्र-II और अन्य के अतिरिक्त आयुक्त। बनाम एम/एस।ट्रांसवर्ल्ड स्टार मंजुश्री, सिविल अपील सं. **2023** का **216-217 @SLP (सिविल)** सं. **2022** का **6337-6338,**

सी.

विक्रेता और विक्रेता दोनों पंजीकृत थे। 7.4 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करते हुए, वर्तमान अपीलों को खारिज करने का अनुरोध किया जाता है।

8. हमने संबंधित पक्षों के लिए विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

डी.

हमने निर्धारण अधिकारी और प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित आदेशों के साथ-साथ दूसरे अपीलीय प्राधिकरण/न्यायाधिकरण द्वारा पारित आदेशों और पुनरीक्षण आवेदनों को खारिज करते हुए उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णयों और आदेशों को भी देखा है। इसमें उत्तरदाताओं-सभी खरीद विक्रेताओं ने संबंधित विक्रेताओं से की गई कथित खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा किया। मूल्यांकन अधिकारी ने साक्ष्य की सराहना करने और अभिलेख पर अन्य सामग्री पर विचार करने पर, लेन-देन की वास्तविकता और संबंधित विक्रेताओं से की गई खरीद पर संदेह किया और आई. टी. सी. को अस्वीकार कर दिया। निर्धारण अधिकारी द्वारा अभिलिखित तथ्य के निष्कर्षों की पुष्टि पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई। हालांकि, दूसरे अपीलीय प्राधिकरण और उच्च न्यायालय ने आई. टी. सी. को यह कहते हुए अनुमति दी है कि खरीद विक्रेताओं ने संबंधित विक्रेताओं द्वारा जारी चालान प्रस्तुत किए हैं और कुछ मामलों में उन्होंने चेक के माध्यम से भी भुगतान किया है, मूल्यांकन अधिकारी आई. टी. सी. को अस्वीकार करने में उचित नहीं था। आई. टी. सी. के अनुदान के विरुद्ध राज्य इस न्यायालय के समक्ष है।

ई.

एफ.

जी.

8.1 इसलिए, इस न्यायालय के विचार के लिए जो छोटा सवाल उठाया गया है, वह यह है कि "क्या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय को इनपुट टैक्स क्रेडिट की अनुमति देने में उचित ठहराया गया था?"

एच.

656

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

9. उपरोक्त मुद्दे/प्रश्न पर विचार करते समय, कर्नाटक मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2003 की धारा 70 का उल्लेख किया जाना आवश्यक है, जो निम्नानुसार है:

“70. सबूत का बोझ।- (1) कर के भुगतान या निर्धारण या इस अधिनियम के तहत निवेश कर के किसी भी दावे के उद्देश्यों के लिए, यह साबित करने का बोझ कि किसी व्यापारी का कोई भी लेनदेन कर के लिए उत्तरदायी नहीं है, या निवेश कर की कटौती का कोई भी दावा सही है, ऐसे विक्रेता पर होगा।

बी.

(2) जहां कोई व्यापारी जानबूझकर एक झूठा कर चालान, क्रेडिट या डेबिट नोट, घोषणा पत्र, प्रमाणपत्र या अन्य दस्तावेज जारी करता है या प्रस्तुत करता है ताकि यह दावा किया जा सके कि उसके या किसी अन्य विक्रेता द्वारा किए गए बिक्री या खरीद के लेनदेन पर कर नहीं लगाया जा सकता है, या कम दर पर कर लगाया जा सकता है, या इनपुट कर की कटौती उपलब्ध है, तो निर्धारित प्राधिकारी, इस तरह के मुद्दे या उत्पादन का पता लगाने पर, ऐसे दस्तावेज जारी करने या पेश करने वाले विक्रेता को दंड के रूप में भुगतान करने का निर्देश देगा:

सी.

डी.

(क) इस तरह के पहले पता लगाने के मामले में, इस तरह के लेनदेन या दावे के संबंध में देय कर का तीन गुना; और

(ख) दूसरे या बाद में पता चलने के मामले में, ऐसे लेन-देन या दावे के संबंध में देय कर का पाँच गुना।

ई.

(3) इस धारा के तहत जुर्माने के भुगतान के लिए कोई निर्देश जारी करने से पहले, निर्धारित प्राधिकारी विक्रेता को इस तरह के जुर्माने के खिलाफ लिखित रूप में कारण दिखाने का अवसर देगा।”

9.1 इस प्रकार, ऊपर उद्धृत धारा 70 के प्रावधान अपने स्पष्ट शब्दों में स्पष्ट रूप से निर्धारित करते हैं कि आई. टी. सी. के दावे को सही साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले खरीदार व्यापारी पर है। इस बात के प्रमाण का बोझ कि आई. टी. सी. का दावा सही है, पूरी तरह से निर्धारिती पर है जिसे उक्त बोझ का निर्वहन करना है। केवल इसलिए कि इस तरह के आई. टी. सी. का दावा करने वाला विक्रेता दावा करता है कि वह एक प्रामाणिक खरीदार है, पर्याप्त और पर्याप्त नहीं है। आई. टी. सी. की शुद्धता साबित करने का भार ऐसे आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता पर रहता है। सबूत का ऐसा बोझ राजस्व पर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता है। केवल चालानों का उत्पादन या चेक द्वारा किया गया भुगतान पर्याप्त नहीं

है और इसे केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए प्रमाण के बोझ का निर्वहन नहीं कहा जा सकता है। आई. टी. सी. का दावा करने वाले विक्रेता को वास्तविक लेन-देन को संदेह से परे साबित करना होता है जिसे विक्रेता का नाम और पता देकर साबित किया जा सकता है, विवरण ए

एफ.

जी.

एच.

657

कर्नाटक राज्य बनाम एम./एस. इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

माल की डिलीवरी करने वाले वाहन का भुगतान, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि। उपरोक्त जानकारी कर चालान, भुगतान के विवरण आदि के अतिरिक्त होगी। वास्तव में, यदि कोई व्यापारी खरीद पर इनपुट टैक्स क्रेडिट का दावा करता है, तो ऐसे विक्रेता/खरीदार को माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही, ऊपर निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत करके लेनदेन की वास्तविकता और केवल कर चालान का उत्पादन आईटीसी का दावा करने के लिए पर्याप्त नहीं होगा। वास्तव में, लेन-देन की वास्तविकता को साबित करना होगा क्योंकि के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने का बोझ क्रय विक्रेता पर होगा। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि केवल चालान का उत्पादन और/या चेक द्वारा भुगतान पर्याप्त नहीं है और इसे अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार बोझ साबित करने के लिए नहीं कहा जा सकता है।

बी.

सी.

10. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के आशय पर विचार करते हुए भी यह देखा जा सकता है कि आई. टी. सी. का दावा केवल बिक्री और खरीद के वास्तविक लेन-देन पर किया जा सकता है और यहां तक कि धारा 70 (2) के अनुसार भी यदि कोई व्यापारी जानबूझकर एक गलत कर चालान, क्रेडिट या डेबिट नोट, घोषणा पत्र या अन्य दस्तावेज जारी करता है या पेश करता है ताकि यह दावा किया जा सके कि उसके या किसी अन्य व्यापारी द्वारा किए गए बिक्री या खरीद के लेन-देन पर कर लगाया जा सकता है या कम दर पर लिया जा सकता है या इनपुट कर की कटौती उपलब्ध है, तो ऐसा विक्रेता जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी है। इसलिए, जैसा कि ऊपर देखा गया है, आई. टी. सी. का दावा करने के लिए, लेन-देन की वास्तविकता और माल

की वास्तविक भौतिक आवाजाही अनिवार्य है और उपरोक्त को केवल विक्रेता का नाम और पता, माल की डिलीवरी करने वाले वाहन का विवरण, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि प्रस्तुत करके ही साबित किया जा सकता है। क्रय विक्रेताओं को माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही को साबित करना होता है, जो कथित रूप से संबंधित विक्रेताओं से खरीदा गया था। यदि क्रय विक्रेता संबंधित विक्रेताओं से कथित रूप से खरीदे गए माल की भौतिक आवाजाही के उक्त महत्वपूर्ण पहलू को स्थापित करने और साबित करने में विफल रहता है और जिस पर आई. टी. सी. का दावा किया गया है, तो निर्धारण अधिकारी ऐसे आई. टी. सी. दावे को अस्वीकार करने में पूरी तरह से उचित है।

डी.

ई.

एफ.

जी.

11. वर्तमान मामले में, संबंधित खरीद विक्रेता ने आईटीसी का दावा करने के लिए चालान या चेक द्वारा भुगतान प्रस्तुत किया है। मूल्यांकन अधिकारी ने लेन-देन की वास्तविकता पर संदेह किया है

एच.

658

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

अभिलेख पर साक्ष्य और सामग्री के आधार पर ठोस कारण देकर। कुछ मामलों में, बिक्री विक्रेताओं का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है या यहां तक कि संबंधित विक्रेताओं द्वारा बिक्री पर विवाद किया गया है और/या संबंधित विक्रेता द्वारा अस्वीकार कर दिया गया है। किसी भी मामले में, संबंधित खरीद विक्रेताओं ने कोई और सहायक सामग्री प्रस्तुत नहीं की है, जैसे कि विक्रेता का नाम और पता, उस वाहन का विवरण जिसने सामान वितरित किया है, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि और इसलिए यह कहा जा सकता है कि संबंधित खरीद विक्रेता केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत उन पर डाले गए बोझ का निर्वहन करने में विफल रहे। पुनरावृत्ति की कीमत पर, यह देखा और अभिनिर्धारित किया जाता है कि जब तक और जब तक खरीद विक्रेता केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के तहत डाले गए बोझ का निर्वहन नहीं करता है

और उपरोक्त सामग्री का उत्पादन करके लेनदेन/खरीद और बिक्री की वास्तविकता को साबित नहीं करता है, तब तक ऐसा खरीद विक्रेता इनपुट टैक्स क्रेडिट का हकदार नहीं होगा।

बी.

सी.

12. लेन-देन की वास्तविकता पर निर्धारण अधिकारी द्वारा दर्ज तथ्य के निष्कर्षों के बावजूद, आई. टी. सी. को अनुमति देने से इनकार करते हुए, जिसकी पुष्टि पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई थी, दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने निर्धारण अधिकारी के साथ-साथ पहले अपीलीय प्राधिकरण द्वारा दिए गए समवर्ती निष्कर्षों को इस अप्रासंगिक विचार पर परेशान किया है कि चालान या चेक के माध्यम से भुगतान करना आई. टी. सी. का दावा करने के लिए पर्याप्त है, जो कि ऊपर देखा गया है, गलत है। जैसा कि ऊपर देखा गया है, चालानों और भुगतान के विवरणों के अलावा, क्रय विक्रेता को आगे की सामग्री प्रस्तुत करनी होती है जैसे कि विक्रेता का नाम और पता, वाहन का विवरण जिसने माल वितरित किया है, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही सहित माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, जिसे कथित रूप से संबंधित विक्रेताओं से खरीदा गया है।

डी.

ई.

एफ.

13. अब जहाँ तक कर्नाटक मूल्य वर्धित कर नियम, 2005 के नियम 27 और 29 पर निर्भरता और खरीद विक्रेताओं की ओर से यह निवेदन किया गया है कि नियम 2005 के प्रावधानों के तहत, विशेष रूप से नियम 27 और 29 के तहत, केवल कर चालान जारी करने और उसे प्रस्तुत करने की आवश्यकता है और कोई अन्य आवश्यकता नहीं है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है। नियम 27 विक्रेताओं पर कर चालान जारी करने का दायित्व डालता है और कर चालान का विवरण नियम 29 के तहत प्रदान किया जाता है। केवल इसलिए कि नियम 27 और नियम 29 के अनुसार कर चालान प्रस्तुत किया गया होगा, जिसे अपने आप में ए नहीं कहा जा सकता है।

जी.

एच.

659

कर्नाटक राज्य बनाम एम./एस. इकोम गिल कॉफी ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड [एम. आर. शाह, जे.] ए.

माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही को साबित करने के लिए, जिसे साबित करने की आवश्यकता है, जैसा कि यहाँ ऊपर देखा गया है। नियम 2005 के नियम 27 और 29 के अनुसार चालान प्रस्तुत करना दस्तावेजों में से एक को साबित करना कहा जा सकता है, लेकिन केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार लेनदेन की वास्तविकता को साबित करने के लिए बोझ का निर्वहन करने वाले सभी दस्तावेजों को नहीं।

बी.

14. अब जहाँ तक दिल्ली के फैसले पर निर्भरता की बात है

ऑन क्वेस्ट मर्चेन्डाइजिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के मामले में उच्च न्यायालय बनाम. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (लिखित याचिका (सिविल) सं. 6093/2017,

क्रय विक्रेताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता पर भरोसा करते हुए, शुरुआत में, यह ध्यान रखना आवश्यक है कि दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष, दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 9 (2) (जी) विचाराधीन थी, जो निम्नानुसार है:

सी.

“9(2)(छ) विक्रेताओं या विक्रेताओं के वर्ग को, जब तक कि क्रय विक्रेता द्वारा भुगतान किया गया कर वास्तव में विक्रेता द्वारा सरकार के पास जमा नहीं किया गया है या उत्पादन कर देयता के खिलाफ कानूनी रूप से समायोजित किया गया है और संबंधित कर अवधि के लिए दाखिल किए गए विवरणी में सही ढंग से प्रतिबिंबित नहीं किया गया है।”

डी.

के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार सबूत का बोझ दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष कोई मुद्दा नहीं था। लेन-देन की वास्तविकता को साबित करने के लिए सबूत का बोझ कैसे और कब हटाया गया, यह दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मुद्दा नहीं था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार आई. टी. सी. का दावा करते समय, क्रय विक्रेता को लेन-देन की वास्तविकता साबित करनी होती है और के. वी. ए. टी. अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार, आई. टी. सी. का दावा करते समय इसे साबित करने का भार क्रय विक्रेता पर होता है। 15. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए और बिक्री व्यापारी का नाम और पता, माल की डिलीवरी करने वाले वाहन का विवरण, माल ढुलाई शुल्क का भुगतान, माल की डिलीवरी लेने की स्वीकृति, कर चालान और भुगतान विवरण आदि जैसी किसी भी ठोस सामग्री के अभाव में और ठोस सामग्री का उत्पादन करके माल की वास्तविक भौतिक आवाजाही को देखते हुए, निर्धारण अधिकारी आईटीसी को अस्वीकार करने में पूरी तरह से उचित था, जिसकी पुष्टि प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा की गई थी। दोनों, दूसरे अपीलीय प्राधिकरण के साथ-साथ उच्च न्यायालय ने आई. टी. सी. को अनुमति देने में भौतिक रूप से गलती की है, जबकि संबंधित खरीद विक्रेता यह साबित करने में विफल रहे हैं कि

ई.

एफ.

जी.

एच.

660

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2023] 2 एस सी आर।

लेन-देन की वास्तविकता और केवीएटी अधिनियम, 2003 की धारा 70 के अनुसार सबूत के बोझ का निर्वहन करने में विफल रहा।आई. टी. सी. को अनुमति देने वाले उच्च न्यायालय और दूसरे अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पारित विवादित निर्णय और आदेश अस्थिर हैं और रद्द किए जाने और अलग रखे जाने के योग्य हैं और इन्हें इसके द्वारा रद्द कर दिया जाता है और अपास्त करना दिया जाता है।प्रथम अपीलीय प्राधिकरण द्वारा पुष्टि किए गए संबंधित खरीद विक्रेताओं को आई. टी. सी. से इनकार करने वाले निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों को पुनर्स्थापित किया जाता है।16. तदनुसार तत्काल अपीलों की अनुमति दी जाती है।हालांकि, लागत के बारे में कोई आदेश नहीं होगा।

बी.

सी.

अंकित ज्ञान

अपीलों की अनुमति दी गई।

(सहायक: आरश चौधरी, एलसीआरए)

डी.

ई.

एफ.

जी.

एच.